States	No. of FPU	Population (1991 census)
Madhya Pradesh	23125	661.35
Rajasthan	17563	438.08
Maharashtra vat	41287	787.48
	13350	411.74

Ihe number of PDS outlets vary from State to State depending upon its size, population density, area, terrain and other relevant local conditions.

चीनी मिलों की ओर गन्ना किसानों का बकाया राशि

*71. **श्री सोमपाल:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के गन्ना उत्पादक किसानों का लगभग ग्यारह सौ करोड़ रूपया चीनी मिलों की ओर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इनका मिल-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी नियंत्रण आदेश, 1966 और उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय अधिनियम के अन्तर्गत चौदह दिन से अधिक विलम्बित भुगतान पर ब्याज अदा किए जाने तथा इस राशि को गन्ना आयुक्त द्वारा राजस्व के रूप में वसूल करने का प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी इन वैधानिक अधिकारों का प्रयोग किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या पिछले पिराई सीजन की कोई राशि अभी तक शेष है;

(छ) यदि हां, तो उसका राज्य-वार और मिल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में कौन-कौन से उपचारी कदम उठाये गये हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) 15-5-1996 तक चालू मौसम 1995-96 से संबंधित भुगतान किए जाने वाला शेष गन्ना मूल्य जैसाकि चीनी फैक्ट्रियों द्वारा जानकारी दी गई है, 1382.33 करोड़ रुपये था जो देय गन्ना मूल्य का 19.2% दर्शाता है। 1995-96 मौसम के लिए 15-5-1996 तक गन्ना मूल्य बकाया की राज्यवार तथा मिलवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण उपाबंध पर है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 7]**

(ग) से (ङ) शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 गन्ने से संबंधित नहीं है। तथापि, 1983 में यथासंशोधित गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंध 3(3 क) में यह व्यवस्था है कि फैक्ट्रियों को गन्ने की डिलीवरी के 14 दिनों के अन्तर्गत मूल्य का भुगतान गन्ना उत्पादकों को कर देना होता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई लिखित समझौता नहीं हो। देय मूल्य या तो चीनी उत्पादक तथा गन्ना उत्पादक अथवा गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के बीच तय हुई दर पर या सांविधिक न्यूनतम गन्ना मूल्य द्वारा निर्धारित दर पर होना है। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत इस मूल्य का भुगतान नहीं किए जाने पर बकाया राशि पर 15% की दर से ब्याज देय होगा। कुछ इसी प्रकार के प्रावधान उत्तर प्रदेश (आपूर्ति एवं खरीद नियंत्रण) अधिनियम, 1953 में भी है। इस तरह ब्याज का भुगतान करना इस बात पर निर्भर करता है कि तय किए गए मूल्य/सांविधिक न्यूनतम मूल्य का भुगतान समय पर किया गया अथवा नहीं। दोष संबंधी प्रावधानों के प्रयोग के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(च) और (छ) चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 15-5-1996 तक पिछले पिराई मौसम 1994-95 से संबंधित गन्ना मूल्य का सूचित किया गया बकाया लगभग 45.78 करोड़ रुपये था। पिछले पिराई मौसम के लिए सूचित किए गए बकाया की राज्यवार तथा मिलवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण अनुपत्र पर है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 7]**

(ज) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित करना प्रधानतः राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, जिनके पास ऐसे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं हैं। केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से चीनी फैक्ट्रियों को किसानों के बकाया का भुगतान करने में समर्थ बनाने के लिए, उनकी (चीनी फैक्ट्रियों की) वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने का उपाय किया है जैसे—देर से पिराई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, बफर स्टाक का सृजन तथा चीनी के निर्यात की अनुमति।